राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम **2019**
और नियम, **2020**

मुख्य विशेषताएं

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता।
- शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की पहचान और लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
- कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए प्रावधान जो ट्रांसजेंडर संवेदनशील, गैर-कलंककारी और गैर-भेदभावपूर्ण हैं।
- उपयुक्त सरकारों के दायित्व: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए कदम।
- प्रावधान ट्रांसजेंडर को माता-पिता और तत्काल परिवार के सदस्यों के साथ निवास का अधिकार प्रदान करता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के प्रावधान।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी का प्रावधान।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान।

आगे की जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
ट्रांसजेंडर और बेगरी डिवीजन
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी)
प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
टेलीफोन: 011-20893999, 011-20893995
ईमेल: Directoroffice.nisd@gmail.comवेबसाइट: http://www.nisd.gov.in